उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध वाद (Miscellaneous Case) सं0 :–95 / 2023–24

जगमोहन सिंह

बनाम

सरकार

15.02.24

1. आवेदक श्री जगमोहन सिंह यादव ग्राम–समसेरा पोस्ट–भरनो थाना–भरनों जिला–गुमला के द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के W.P (C) No-6049/2023 में पारित आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी को चार सप्ताह के अन्दर समीक्षा कर निर्णय लेने का आदेश प्राप्त है।
2. आवेदक के Miscellaneous Case पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी गुमला एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी गुमला के पत्रांक–1481 / रा0 दिनांक–20.12.2023 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्त गुमला के पत्रांक–16(ii) दिनांक–11.01.2024 से प्रतिवेदन प्राप्त।
3. आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामला मौजा–डीवडीह थाना–गुमला जिला–गुमला में अवस्थित आवेदक के खरीदगी भूमि खाता सं0– 36 प्लॉट सं0– 1509 एवं 1513 में माननीय विधायक श्री चमरा लिण्डा के फण्ड से NREP गुमला द्वारा अवैध पूर्ण तरीके से पी०सी०सी० पथ निर्माण कराया गया है।
4. प्रश्नगत भूमि में अवैधपूर्ण एवं फर्जी तरीके से पी०सी०सी० पथ निर्माण कराया गया है। प्रश्नगत भूमि का मालगुजारी रसीद आवेदकगण के हित में निर्गत हो रही है। आवेदक मूलतः मौजा– समसेरा, थाना–भरनो, जिला–गुमला का निवासी है, तथा मौजा–डीवडीह, थाना–गुमला में नहीं रहते हैं, जिसका लाभ उठा कर उत्तरवादी Covid- 19 के लोकडाऊन में सरकारी तंत्र का अवैध लाभ उठाते हुए तथा सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए आवेदक के रैयती भूमि में पी०सी०सी० पथ निर्माण कराया गया है।
5. प्रश्नगत पथ निर्माण से पूर्व आवेदक द्वारा दिनांक 29.02.2020 को बिजली खम्भा आवेदक के प्रश्नगत भूमि में गाड़ा जा रहा था। आवेदक के द्वारा सहायक विद्युत अभियन्ता, गुमला के समक्ष आपत्ति दर्ज कर बिजली खम्भा हटाने की आग्रह की गई थी, परन्तु प्रशासन इस मामले में पूरी तरह उदासीन रही, तथा आवेदक के रैयती जमीन में बिजली खम्भा हटाने से संबंधित आपत्ति आवेदक पर वगैर सुनवाई के बिजली खम्भा गाड़ दिया गया है।
6. प्रश्नगत पी0सी0सी0 पथ निर्माण की जानकारी के पश्चात् दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

05.08.2021 को तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गुमला के समक्ष आवेदक की रैयती जमीन में हो रहे अवैध पी0सी0सी0 पथ निर्माण को रोकने हेतु एक आवेदन दिया गया। उसके पश्चात् दिनांक 18.08.2021 को पुनः आवेदन दिया गया परन्तु उक्त आवेदन को भी नजर अंदाज करते हुए NREP के द्वारा आवेदक की रैयती भूमि में पी०सी०सी० पथ निर्माण की जा रही है।

7. दिनांक 23.08.2021 को अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के समक्ष आवेदन देकर अवैध पूर्ण पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला द्वारा अंचल अधिकारी गुमला तथा सहायक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम गुमला से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करने निदेश दिया गया, परन्तु सहायक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम गुमला गुमला तथा अंचल अधिकारी गुमला से जाँच प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारी के समक्ष जमा नहीं किये। अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के स्तर से भी उचित कार्यवाही संभव नहीं हुई।

8. अधिग्रहित प्रश्नगत भूमि में बिजली खम्भा का गाडना तथा अवैधपूर्ण पी०सी०सी० पथ निर्माण से आवेदक को 0.15 एकड़ भूमि के उपभोग से वंचित होना पड़ा है। आवेदक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी तथा आवेदक द्वारा WP (c) 6049/2022 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में दायर किया, तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में विविध वाद की सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रारंभ हुई, उत्तरवादी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पत्रांक–992/NREP गुमला दिनांक 28.11.2022 को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

9. उत्तरवादी द्वारा श्री चमरा लिण्डा माननीय विशुनपुर विधायक का पत्रांक 410/2021 दिनांक 24.02.2021 संलग्न करते हुए ग्राम–डीवडीह में 300 फीट लम्बी एवं 15 फीट चौड़ी पी०सी०सी० पथ निर्माण कराने हेतु उप विकास आयुक्त गुमला को प्रेषित पत्र है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि विधायक मद 2020–21 का राशि में से 690000/– निर्माण हेतु सहायक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम गुमला को धन राशि प्रदान करने की बात कही गई है, परन्तु उक्त आवेदन में यह वर्णित नहीं है कि मौजा– डीवडीह, थाना गुमला, जिला गुमला के किस जमीन में, किस खाता ,प्लॉट में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण करनी है।

10. कार्यपालक अभियंता NREP द्वारा प्राक्कलन तैयार करने का दावा प्रस्तुत किये है, परन्तु प्राक्कलन तैयार करने से पूर्व उत्तरवादी द्वारा पथ निर्माण हेतु किस भूमि में पथ निर्माण करना है, इसका कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, और न विभाग द्वारा भूमि का चयन किया गया न ही भूमि का जाँच प्रक्रिया अपनायी गई है, स्पष्ट है कि संबंधित विभाग

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा वगैर भूमि के सत्यापन के वगैर किसी नापी के फर्जी प्राकल्लन तैयार किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है।

11. उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी कार्यालय गुमला विकास शाखा से निर्गत आदेश के आलोक में प्रश्नगत पथ निर्माण की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यन्वयन एजेंसी को उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व भूमि संबंधि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन का निर्देश था :–

i. योजना का निर्माण सरकारी भूमि पर किये जाने का निर्देश था, तथा निजी भूमि पर योजना का कार्यान्वयन तभी कराया जा सकता था, जब रैयती भूमि के मालिक इस आशय का शपथ पत्र उपायुक्त/उप विकास आयुक्त को समर्पित करेंगे इस भूमि पर विधायक योजना से निर्मित परिसम्पति का उपयोग से सर्वसाधारण द्वारा किया जायेगा।

ii. निजी/रैयती जमीन पर योजना का कार्यन्वयन सरकारी जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में होगा। यह जमीन भी खतियान/जमाबन्दी रैयती की सहमति एवं शपथ पत्र के अतिरिक्त अविवादित हो। इस पर कार्यान्वयन एजेंसी पूर्ण आश्वस्त होकर ही काम शुरू करायेंगे। ताकि भविष्य में किसी विवाद के कारण योजना का कर्या में अवरोध न हो। परन्तु कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा उपरोक्त किसी भी नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया तथा आवेदक के आपत्ति आवेदन दाखिल किये जाने के बावजूद मनमानी तरीका से सरकारी राशि का दुरुपयोग कर आवेदक के रैयती भूमि में पी०सी०सी० पथ का निर्माण कराया गया।

12. पी0सी0सी0 पथ निर्माण योजना का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व योजना स्थल पर सीमेंट/ईट का बोर्ड लगाया जाना अपेक्षित था, जिसमें योजना की पूर्ण विवरणी लेखाकित किया जाना चाहिए था, जिसका फोटो योजना पंजी II में संलग्न करना था, परन्तु उत्तरवादी द्वारा इसका भी अनुपालन नहीं किया गया है।

13. उत्तरवादी उपरोक्त अनियमिताओं वो सरकारी राशि का गबन से बचने के लिए आवेदन दिनांक 04.02.2021 का जिक्र किया गया है। आवेदक के द्वारा दिनांक 21.05.2022 को सूचना का अधिकार से योजना का सम्पूर्ण अभिलेख का 9 पृष्ठों में छायाप्रति उपलब्ध कराया गया उसमें ग्रामीणों का आवेदन दिनांक 04.02.2021 संलग्न नहीं है, स्पष्ट है कि उत्तरवादी अपने बचने के लिए ग्रामीणों से आवेदन पर फर्जी तरीका से योजना पंजी में छेड़छाड़ करते हुए संलग्न किया गया है। आवेदक के प्रश्नगत भूमि में पूर्व से कच्ची सड़क थी। प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में मकान वो बाड़ी था, जो चाहरदीवारी से घिरा था।

14. आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि में जब उत्तरवादी द्वारा जबरदस्ती पी०सी०सी० पथ निर्माण हेतु खुदाई की गई थी उस समय का फोटो ग्राफ आवेदक द्वारा संलग्न किया जा रहा है, जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जाता है, कि प्रश्नगत भूमि में पूर्व से कोई सड़क नहीं

Scanned with OKEN Scanner

थी। योजना का प्राकलन तैयार किया गया तथा मापी पुस्तिका में दिये गये विवरणी में कही भी कच्ची सड़क का जिक्र नहीं है। विभाग योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व Site Selection का कार्य नहीं की Site Approval भी नहीं किया गया और न ही योजना स्थल में जा कर प्राकलन तैयार किया गया। विभाग अथवा ग्रामीणों द्वारा उसमें पूर्व से रास्ता होने का दावा मिथ्या है।

15. प्राकल्लन में 15 फीट चौड़ा × 343 फीट लम्बा पी०सी०सी० पथ का जिक्र है, तथा मापी पुस्तिका में 10 फीट चौड़ा × 509 फीट लम्बा रास्ता (पी०सी०सी०) पथ का जिक्र है। भूमि सुधार उपसम्हार्ता गुमला से जाँच कराया गया तो वह पी०सी०सी० पथ आवेदक के भूमि में 8 फीट चौड़ा × 277 फीट लम्बा पी०सी०सी० पथ पाया गया। उक्त रास्ता बनाने में सरकारी योजना के नियमों को ताख में रख कर उत्तरवादी द्वारा आवेदक की रैयती जमीन को हड़पने का कार्य किया है।

16. यह कि उल्लेखनीय है कि योजना में पी०सी०सी० पथ झरवरा कुम्बा से पी०सी०सी० P.W.D रोड तक बनने की बात कही गई है, जब कि ग्रमीणों द्वारा सम्पर्ति आवेदन में राष्ट्रीय राजमार्ग से डेवीडीह पतराटोली अखड़ा तक 300 फीट रास्ता निर्माण का प्रस्ताव है। स्पस्ट है कि डेवीडीह मौजा में आवेदक के जमीन से सटे जानिब पश्चिम कही पर झखरा कुम्बा अथवा अखडा नहीं है, तथा डेवीडीह मौजा में P.W.D पथ से झखरा कुम्बा (काल्पनिक नाम) तक 300 फीट का सरकारी रास्ता का योजना जो पास किया वह सिर्फ कागज में है धरातल में झखरा कुम्बा तक कोई पी०सी०सी० पथ नहीं बना है,

आवेदक के द्वारा रैयती भूमि में निर्मित अवैध पी0सी0सी0 पथ एवं बिजली खम्भा को हटाते हुए रैयती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

17. उत्तरवादी कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम गुमला के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया है:—

1. श्री चमरा लिण्डा माननीय स0वि0स0, विशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के पत्रांक—410/2021 दिनांक—24.02.2021 से प्राप्त पत्र की छाया प्रति।
2. प्राक्कलन की छाया प्रति।
3. उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक—143(ii)/वि0 दिनांक—15.03.2021 के द्वारा ग्राम—डीबडीह, पंचायत खरका के झखरा कुम्बा से P.W.D. पथ तक PCC निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है की छाया प्रति।
4. तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, NREP, गुमला के द्वारा पत्रांक—227 दिनांक—16.03.2021 के द्वारा योजना कार्यान्वयन हेतु

Scanned with OKEN Scanner

राशि की मांग की गई है, की छाया प्रति।

5. उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक–174(ii)/वि0 दिनांक–22.03.2021 के द्वारा ग्राम–डीबडीह, पंचायत खरका के झखरा कुम्बा से P.W.D. पथ तक PCC निर्माण हेतु 50% राशि 345000.00 रुपये प्राप्त हुई है, की छाया प्रति।
6. ग्राम सभा की छाया प्रति।
7. खतियान की छाया प्रति।
8. मौजा–डीबडीह पंचायत खरका के झखरा कुम्बा से P.W.D पथ तक PCC निर्माण योजना का Latitude-Longitude फोटोग्राफ।

18. अंचल अधिकारी गुमला से इस कार्यालय के पत्रांक–1435/विधि दिनांक–25.11.2023 के द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। अंचल अधिकारी गुमला के द्वारा अपने पत्रांक–35 दिनांक–10.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डेवीडीह के खाता सं0–107 प्लॉट सं0–1509 रकबा–0.66 एकड़ भूमि गैरमजरुआ मालिक किस्म परती कदीम दर्ज है, एवं खाता सं0–03 प्लॉट सं0–1513 रकबा–0.10 एकड़ भूमि बकास्त किस्म टांड तीन दर्जे की भूमि है। मौजा–डेवीडीह के पंजी ii में खाता सं0–107 प्लॉट सं0–1509 रकबा–0.49 एकड़ तथा खाता सं0–3 प्लॉट सं0–1513 रकबा–0.10 एकड़ भूमि की जमाबंदी बाबा श्री जगमोहन पिता–स्व0 देवनाथ यादव तथा श्री गणेश रामाशंकर वो श्री कार्तिक उमाशंकर पेशरान जगमोहन यादव के नाम से चल रही है। जिसमें परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 301/96–97 दर्ज है। भूमि का सीमांकन के उपरान्त पाया गया कि प्लॉट सं0–1509 के 0.03¼ एकड़ भूमि एवं प्लॉट सं0–1513 रकबा–0.01¾एकड़ भूमि पर PCC पथ अवस्थित है। शेष भाग परती है, प्लॉट सं0–1509 में दो कुएँ भी अवस्थित पाया गया है।

19. उभय पक्षों द्वारा समर्पित दस्तावेजो एवं प्रस्तुत मौखिक बहस के आधार पर निम्न तथ्य स्पष्ट होता हैः–

(क) विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना द्वारा कार्यान्वयित योजना ग्राम डीबडीह, पंचायत खरका के झखरा कुम्बा से P. W D. पथ तक PCC निर्माण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए उपयोगी है।

(ख) प्लॉट सं0–1509 एवं 1513 का सार्वजनिक उपयोग होता आया है, परन्तु इस आशय का कोई भी अभिलेख प्रमाण उपलब्ध नही कराया गया है।

(ग) योजना के कार्यान्वयन से पूर्व Crpc की धारा 147 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया। इस कारणवश विभागीय पत्रांक–8045 दिनांक–16.05.2017 का अनुपालन नही हो पाया।

Scanned with OKEN Scanner

(घ) विभागीय निदेशो के अनुरुप रैयती भूमि पर कार्य करने से पूर्व जमाबंदी रैयत की सहमति अथवा अनापत्ति का भी कोई भी प्रमाण नही पाया गया।

उप विकास अयुक्त, गुमला को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत मामले में जाँच समिति का गठन करते हुए वैसे कर्मियों तथा अधिकारियों को चिन्हित करेगें जिनके लापरवाही के कारण त्रुटियाँ हुई है। अंचल अधिकारी गुमला एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला संयुक्त रुप से जाँच करते हुए नियमानुसार भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करेगें। भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व अंचलाधिकारी सुनिश्चित हो लेगे की संबंधित रैयत की जमाबंदी वैद्य हो तथा रैयत के द्वारा किसी भी प्रकार से CNT Act.-1908 अथवा वर्त्तमान में अथवा भूतकाल में प्रभावी किसी भी नियम/अधिनियम/परिनियम की अवहेलना न की गई हो, साथ ही अंचलाधिकारी इस बिन्दु पर भी समाधान प्राप्त कर लेंगें कि आवेदक अथवा संबंधित रैयत के द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि अथवा लोकभूमि पर अवैध दखल न किया गया हो। उप विकास आयुक्त गुमला, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला से भू–अर्जन हेतु प्राक्कलन प्राप्त करते हुए विभागीय स्तर से राशि की मांग करेगें ताकि संबंधित रैयत को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके।

आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.06 15:28:03 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner